—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 120/2023

उनवान

1. मीरा पुत्री लक्ष्मण सिंह पौत्री देवा जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र देवा,
2. पवन सिंह पुत्र राम सिंह,
3. कमला पत्नी नानू सिंह,
4. रामा,
5. बाबू,
6. रूपी,
7. राजी,
8. नौसर, पि0 देवा,
9. डाली पत्नी उगमा,
10 .प्रभु,
11. प्रेम,
12 सीताराम,
13 सुगना,
14 मीरा, पि0 उगमा,
15 छोटी पत्नी मुकना,
16 भागचन्द,
17 बदामी,
18 हंगमी पि0 मुकना,
19 पप्पू, पि0 बिसना
20 रमेश,
21 पांची पि0 बिसना,
22 कमला पत्नी नानू,
23 राहुल पुत्र नानू ना.बा. जरियें संरक्षिका माता कमला,
24 रोहित पुत्र नानू ना.बा. जरियें संक्षक माता कमला समस्त जाति रावत नि0 अंसरी, नसीराबाद,
25. उप पंजीयक, नसीराबाद,
26. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 24 अ[illegible] 25 व 26 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:38:55 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

-: आदेश :-　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :- 11.12.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

चौसाला ख.न.	रकबा	वर्किंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
130	1-5-0	170	0.20	197	0.10
282 मिन	4-5-10 में से 2-6-10	354	0.38	389	0.38
115	0-18-10	133 मिन	0.06	171	0.07
		133 मिन	0.08	172	0.08

उपरोक्त आराजी प्रार्थी के दादा देवा पुत्र नंगा की पुश्तैनी खातेदारी है। प्रार्थी का पुश्तैनी खातेदारी में हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आराजी का बैचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया है जो प्रार्थी के हितों पर बातिल व बेअसर है। प्रार्थी के दादा देवा पुत्र नंगा की विरासत जरियें नामान्तकरण संख्या 146 दिनाक 18.09.2006 को अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पिता के नाम अंकित की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लक्ष्मण पुत्र देवा द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को बैचान कर दी है। जबकि प्रार्थी का उक्त पुश्तैनी भूमि पर हक निहित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने व भूमि का आगे हस्ततांतरण करने पर आमादा है।

अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 से 24 प्रकरण में अनुपस्थित रहें। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :-

ग्राम असंरी के हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.10 व 389 रकबा 0.38, 171 रकबा 0.07 व 172 रकबा 0.08 साबिक राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के दादा देवा पुत्र नंगा की पुश्तैनी खातेदारी है। देवा पुत्र नंगा की विरासत से उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुयी अप्रार्थी संख्या 1 लक्ष्मण पुत्र देवा प्रार्थी का पिता है। उसके द्वारा उक्त आराजी का बैचान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है। किन्तु भूमि निर्विवाद रूप से प्रार्थी की पुश्तैनी सिद्व होती है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार द्वारा भी कोई खण्डन नही किया है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :-

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबि[illegible] होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रक[illegible] में [illegible] पर प्रार्थी की पुश्तैनी है उसके पिता द्वारा भूमि का बैचान किया जा चुका है किन्तु [illegible] आगे बैचान नही करने हेतु प्रकरण में व्यादेश जारी करना आवश्यक है। [illegible]गण द्वारा भूमि का बैचान अथवा हस्तांतरण किया जाता है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्ष[illegible] की संभावना से इंकार नही किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:38:55 IST
Reason: Self Attested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जा सकता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :—

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्वहोता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :—ग्राम असंरी के हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.10 व 389 रकबा 0.38, 171 रकबा 0.07 व 172 रकबा 0.08 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। भूमि का बैचान नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
मसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:38:55 IST
Reason: SelfAttested